

“विजनेम पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रांति जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 मि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
‘लनीसगड़/दुर्ग/09/2010-2012.’

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 57]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2012—चैत्र 10, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-8/2012/आ.प्र./1-3.—छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्र. 9 सन् 2012) को धारा 1 की उपभार (3) द्वारा ग्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मार्च, 2012 के तीसवें दिन को उक्त अधिनियम के प्रयृत होने की तिथि के रूप में नियम करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2012

क्रमांक एफ 13-8/2012/आ.प्र./1-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-8/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 30 मार्च, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(द्वितीय २ जन् 2012)

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012

राज्य भरकार द्वारा स्थापित, संघरित अथवा सहायता प्राप्त कुछ शैक्षणिक संस्थाओं के लिए नागरिकों के अनुमूलिक जनजातियों, अनुमूलिक जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के उद्देश में आरक्षण के लिए तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवं वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 कहलायेगा।
संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है।
- (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा लंपेक्षित न हो,—
 (क) “शैक्षणिक सत्र” से अभिप्रेत है कैलेण्डर वर्ष, या उसके किसी भाग की कालावधि, जिसके दौरान कोई शैक्षणिक संस्था अध्यापन के लिए अथवा अध्ययन या संकाय को किसी शाखा में शिक्षण के लिए खुलते हों;
- (ख) “प्रवेश परीक्षा” से अभिप्रेत है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार या किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा या उसकी ओर से संचालित परीक्षा तथा इसमें सम्मिलित है, प्रो-मैडिकल टेस्ट (पीएमटी), प्रो-इंजीनियरिंग टेस्ट (पीईटी), प्रो-एग्रीकल्चर टेस्ट (पीएटी) या कोई अन्य परीक्षा चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो;
- (ग) “वार्षिक अनुज्ञा संख्या” से अभिप्रेत है शिक्षण संस्थाओं में पात्र विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए समूचित प्राधिकारी द्वारा प्राप्तिकृत अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में अध्यापन या शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में सीटों की संख्या;
- (घ) “समूचित प्राधिकारी” से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद्, तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद्, भारतीय परिचयों परिषद्, भारतीय दन चिकित्सा परिषद्, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम द्वारा स्थापित कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय जो किसी शैक्षणिक संस्था में उच्च शिक्षा के स्तर के अवधारण, समन्वयन अथवा संधारण के लिए हो;
- (ङ) “अंतिम तिथि(यों)” से अभिप्रेत है धारा 3 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन रिक्त सीटों को भरने के प्रयोजनों के लिए शैक्षणिक सत्र में अध्ययन या संकाय की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेश की ऐसी तिथि(यां) जैसी कि राज्य सरकार या शैक्षणिक संस्था, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा घोषित की जाये;
- (च) “शैक्षणिक संस्था” से अभिप्रेत है,—
 (एक) छत्तीसगढ़ राज्य के विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय;
- (दो) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था से भिन्न कोई संस्था, जो राज्य सरकार द्वारा, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर

संधारित या सहायता प्राप्त हो, तथा खण्ड (एक) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय में संबद्ध हो;

- (तीन) छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अभिनियम, 1973 (क्र. 44 मन् 1973), के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई शैक्षणिक संस्था;
- (छ) "पात्र विद्यार्थी" से अभिप्रेत है ये विद्यार्थी जो अध्ययन या संकाय की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेश के लिए यात्र हैं तथा ऐसी आईआईएस कार्रवाई है, जैसी कि समृच्छ प्राधिकारी या विश्वविद्यालय या राज्य सरकार, जैसी भी शिक्षित हो, के द्वारा विहित को जाएं अथवा जहाँ प्रवेश परीक्षा संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राप्तिकृत विश्वविद्यालय या निकाय द्वारा, अध्ययन या संकाय की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेश के संबंध में, अपेक्षित किए गए अनुसार, जिन्हें पात्र घोषित किया गया हो;
- (ज) "संकाय" से अभिप्रेत है किसी शैक्षणिक संस्था का संकाय;
- (झ) "अन्य विद्यालय वर्ग" से अभिप्रेत है नागरिकों का/के वर्ग जो समाज के संघटन घरों से संबंधित न हो, जो सामाजिक और शैक्षणिक तीर पर पिछड़े हों, तथा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार अवधारित हो;
- (ञ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति;
- (ट) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा अधिसूचित अनुसूचित जनजाति;
- (ठ) "अध्ययन की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण" से अभिप्रेत है स्नातक (पूर्व-स्नातक), स्नातकोत्तर (अनु-स्नातक) एवं डॉक्टरेट स्तर पर दिल्लीया या दिग्ंरी प्रदान कराने के लिए अग्रणी अध्ययन की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण.

शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों का आवक्षण

3. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आवक्षण, तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अथवा—
- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञात संख्या में से, बतोत्स प्रतिशत सीटें, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी ;
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञात संख्या में से, बारह प्रतिशत सीटें, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी ;
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञात संख्या में से, चौदह प्रतिशत सीटें, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी :

परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें, पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा 'विपरीत क्रम' में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा.

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा.

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार, इस धारा के अधीन आरक्षण को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए, स्नातकोत्तर या उच्च सार में अध्ययन की किसी या सभी शाखाओं की वार्षिक अनुवाद संख्या को एकीकृत कर सकेगी, यदि राज्य सरकार की राय में अध्ययन की ऐसी शाखा गा शाखाओं तो अकेले लेने पर ऐसा आरक्षण नहीं किया जा सकता हो।

- | | | |
|----|--|--|
| 4. | <p>(1) धारा 3 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उद्धार्धर (वटीकल) स्वयं से अवधारित किया जाएगा।</p> <p>(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रा संग्राम सेनानियों के बच्चों या स्वकितयों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में हैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह धारा 3 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन, यथास्थिति, उद्धार्धर आरक्षण के भीतर होगा।</p> | विशेष संघर्षों के लिए हैतिज आरक्षण. |
| 5. | <p>(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।</p> <p>(2) इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती हो, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों से अनसंगत ऐसे प्रावधान कर सकेगी, जैसा कि कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या रामोचीन प्रतीत हो।</p> <p>(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, तथा इस धारा की उप-धारा (2) के अधीन बनाया गया प्रत्येक प्रावधान, इसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा।</p> | नियम बनाने एवं कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति. |

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2012

क्रमांक 2695/डी. 98/21-अ/प्रा./उ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ रीयायिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एस. घरवाणी, अतिरिक्त सचिव